न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - लाडनूं (नागौर)

"न्याय आपके द्वार अभियान 2016 :- कैम्प लाडनूं

पीठासीन अधिकारी :- मुरारी लाल शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 2014/121

दायर दिनांक: 16.07.2014

वादीनी		प्रतिवादीगण
लक्ष्मी देवी पुत्री चान्दमल पत्नी लालचन्द जाति- सोनी निवासी - जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं जिला नागौर	ब ना म	(1) जयचन्द लाल, (2) बजरंग लाल, (3) भंवरीलाल } पुत्रगण चान्दमल (4) मैना पत्नी चान्दमल (5) विमला देवी, (6) दुर्गा देवी, (7) सीता देवी } पुत्रियां चान्दमल (8) पप्पू, (9) नाथूलाल, (10) देवीलाल } पुत्रगण स्व. सोहनी देवी पत्नी बाबूलाल (11) सरोज, (12) संतोष } पुत्रियां स्व. सोहनी देवी पत्नी बाबूलाल समस्त जाति सोनी निवासी लाडनूं जिला नागौर (13) तहसीलदार लाडनूं (14) उपपंजीयक लाडनूं

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा u/s 88,188 RTA

उपस्थित :- (1) श्री गुलशेर खान अधिवक्ता वादीनी
(2) श्री अशोक राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण 2,5
(3) श्री रविन्द्र राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण 4

—:: निर्णय ::— दिनांक : 28.06.2016

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के पैतृक कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 07.215 बीघा ग्राम सरहद लाडनूं में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 स्व. चान्दमल के वारिसान हैं। विवादित खसरा की भूमि पूर्व में स्व. चान्दमल की खातेदारी की थी जिस पर चान्दमल के जीवन काल से ही वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। वादीनी का उक्त भूमि में 1/9 हिस्सा है। चान्दमल की फौतगी पर गलत रूप खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गयी जबकि पिता की सम्पत्ति में वादीनी का भी हकहिस्सा है। वादीनी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद अन्दर मियाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना वादीनी है कि खेत खसरा नम्बर 264 सरहद लाडनूं में वादीनी, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 व 8 से 12 के 1/9-1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन्स जारी किये गये। प्रतिवादीगण

xx2xx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

xxxxxx

गया। प्रतिवादीगण कजोड़ लाल, मैना, विमलादेवी ने एकमुश्त जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामीलजी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश की।

पत्रावली न्याय आगे हेतु अंतिम बहस लाडनूं में पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सरहद लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 07=15 बीघा में 1/9 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने की वादीनी याचना कर रही है। वादीनी का कथन है कि विवादित भूमि उनके पिता स्व. चान्दमल की खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है। स्व. चान्दमल के वारिसान कजोड़ लाल, मैना व विमलादेवी ने एकमुश्त जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया है तथा अन्य वारिसान ने वाद पर विरोध नहीं किया है। स्व. चान्दमल की मृत्यु होने के कारण उनके सभी वारिसान का विवादग्रस्त आराजीयात में समान हक अधिकार होता है। वादीनी स्व. चान्दमल की पुत्री है इसलिए वह खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीनी का वाद डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::-

दावा डिक्री जाहिर कर सरहद लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 07=15 बीघा की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीनी, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7, प्रतिवादीगण संख्या 8 से 12 को 1/9-1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
RAS
लाडनूं
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

निर्णय आज दिनांक 28.06.2016 को आयोजित लोक अदालत में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
RAS
लाडनूं
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

Scanned by CamScanner